न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 420/2019 (2019/00373)

1. महावीर पुत्र रामकिशन
2. बालूराम पुत्र रामकिशन
   जाति खाती निवासीगण सलारी तहसील केकडी राज. ——प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. भंवरलाल पुत्र गोपालदास
2. पुरूषोत्तम पुत्र गोपालदास
3. किशनलाल पुत्र गोपालदास
   समस्त जाति साधू निवासीगण सलारी तह.केकडी जिला अजमेर
4. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण

उपस्थितः—
श्री उम्मेद सिह राठौड वकील प्रार्थीगण
श्री नीरज जैन वकील अप्रार्थी—
पेरोकार सरकार तहसीलदार केकडी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 27/12/21

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण /अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर** की जमाबन्दी संवत **2069—72** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
258—245	419	0.21	चा.1 जा.1
	422	0.12	चा.1 जा.1
	888	0.61	बा.उ.
	889/2479	0.01.	गे.मु.चाह
	97/2570	0.02	बा.2

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थीगण ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व में है। प्रार्थीगण ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थी आज से चार—पांच महिने पहले भी अप्रार्थीगण संख्या 11 को अपनी खातेदारी की आराजीयात में बाड करने से मना किया तो नहीं माने व प्रार्थी से लडाई झगडा पर उतारू हो गये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजीयात पर गया तब विवाद हुआ। इसलिये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.21 13:11:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स. 1–3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी से कोई लडाई झगडा नही करते है तथा कब्जे अनुसार काश्त कर रहे है। ख.न. 888 को छोडकर पत्थरगढी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है ख.न. 888 पर एक निवास अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. का विचाराधीन है। अतः इस पत्र पत्थरगढी संभव नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खिलाफ 888 व उसके नजदीक अप्रार्थीगण ख.न. 884 व 886 है। जिस बाबत अप्रार्थीगण ने एक वाद श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। नक्शा दुरुस्ती है। जिसमें श्रीमान द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा है। इसलिये ख.न 888 को छोडकर पत्थरगढी किया जावें। प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक व हित नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के वकील ने बहस जारी रखते हुये। प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने वितंक प्रस्तुत करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराया। अप्रार्थीस. 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। अप्रार्थीगण को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके **सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर** की जमावन्दी संवत **2071–74** के खाता स. 258–245 के खसरा नम्बर 419, 422, 888, 889/2479, 97/2570,1207/1307 की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विकास पंचोली
उपखण्ड अधिकारी
केकडी(अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.21 13:11:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner